राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.5(1)प्रसु / सम / अनु–1 / 2008 / पार्ट   दिनाक: 17 नवम्बर 2016

<u>आज्ञा</u>

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 23/ECI/LET/TERR/NORI-RJ/2016/NS-I दिनांक 28.10.2016 द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु संशोधित कार्यक्रम अर्हता अवधि दिनांक 18.11.2016 से 16.01.2017 तक निर्धारित किया गया हैं।

अतः फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे अधिकारियों / कर्मचारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर) / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों / पदाभिहित अधिकारियों के स्थानान्तरणों पर दिनांक 18.11.2016 से 16.01.2017 प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में, अत्यआवश्यक मामलों में आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों / कर्मचारियों के <u>स्थानान्तरण / पदस्थापन</u> के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएगें

(शक्ति सिंह राठौड)
संयुक्त शासन सचिव

मानक वितरण